।। कार्यालय, जिला परिषद, पूर्णियाँ ।।

-: नियोजन हेतु सूचना :-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, पूर्णियाँ में निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन 11(ग्यारह) माह के लिए संविदा पर नियोजन हेतु एक अदद माली (बागबानी कार्य हेतु) की आवश्यकता है। आवश्यकता अनुसार नियोजन अवधि का विस्तार किया जा सकता है।

01. उम्मीदवार पूर्णियाँ जिला का निवासी होना चाहिए।
02. उम्मीदवार का उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
03. उम्मीदवार को कम से कम 05 वर्षो का कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।
04. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ या जिस प्रखंड क्षेत्र का आवेदक निवासी हो, वहाँ के PHC के MOIC द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।
05. प्रथम नियोजन की अवधि 11 माह की होगी। कार्य कुशलता को देखते हुए अवधि विस्तार किया जा सकता है।
06. मानदेय की राशि 9,000/–(नौ हजार)रूपये मात्र प्रतिमाह देय होगी। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता आदि देय नहीं होगा।
07. उम्मीदवार का चयन जिला परिषद द्वारा गठित साक्षात्कार समिति द्वारा किया जाएगा।
08. नियोजन को बिना कोई कारण बताये रद्द करने का अधिकार जिला परिषद के पास सुरक्षित होगा।
09. उम्मीदवार आवेदन–पत्र के साथ आधार कार्ड/पहचान–पत्र, अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण–पत्र एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

अतः इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायोडाटा के साथ अपना आवेदन–पत्र दिनांक 26/10/19 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन–पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

ह0/–
उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद,पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 798 /जि0प0,पूर्णियाँ, दिनांक 11.10.2019

प्रतिलिपि :– दैनिक जागरण/ प्रभात खबर समाचार पत्र के सम्पादक को सूचनार्थ एवं समाचार पत्र के पूर्णियाँ संस्करण में कम से कम स्पेस में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– N.I.C.,पूर्णियाँ को उपरोक्त सूचना को पूर्णियाँ के वेबसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

11/10/19

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद,पूर्णियाँ।

।। कार्यालय, जिला परिषद, पूर्णियाँ ।।

–: नियोजन हेतु सूचना :–

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, पूर्णियाँ में निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन 11(ग्यारह) माह के लिए संविदा पर नियोजन हेतु एक अदद कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है। आवश्यकता अनुसार नियोजन अवधि का विस्तार किया जा सकता है।

01. उम्मीदवार पूर्णियाँ जिला का निवासी होना चाहिए।
02. उम्मीदवार का उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
03. उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इन्टरमिडियट एवं कम्प्यूटर में DCA/ADCA/ 'O'Level DOEACC/KYP Trained होना चाहिए। इसके साथ ही हिन्दी/अंग्रेजी में टंकण निपुणता तथा MS.Office Package का ज्ञान होना आवश्यक है। राज्य सरकार एवं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से कम्प्यूटर में प्रशिक्षित अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर में समान वरीयता होने पर अधिक याग्यतावाले को चयन किया जायेगा।
04. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ या जिस प्रखंड क्षेत्र का आवेदक निवासी हो, वहाँ के PHC के MOIC द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।
05. प्रथम नियोजन की अवधि 11 माह की होगी। कार्य कुशलता को देखते हुए अवधि विस्तार किया जा सकता है।
06. मानदेय की राशि 11,000/–(ग्यारह हजार)रूपये मात्र प्रतिमाह देय होगी। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता आदि देय नहीं होगा।
07. उम्मीदवार का चयन, जिला परिषद द्वारा गठित साक्षात्कार कमिटि से कम्प्यूटर दक्षता जाँच परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।
08. नियोजन को बिना कोई कारण बताये रद्द करने का अधिकार जिला परिषद के पास सुरक्षित होगा।
09. उम्मीदवार आवेदन–पत्र के साथ आधार कार्ड/पहचान–पत्र, अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण–पत्र एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

अतः इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायोडाटा के साथ अपना आवेदन–पत्र दिनांक 26/10/19 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन–पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

ह0/–
उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद,पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 799 / जि0प0,पूर्णियाँ, दिनांक 11.10.2019

प्रतिलिपि :– दैनिक जागरण/प्रभात खबर समाचार पत्र के सम्पादक को सूचनार्थ एवं समाचार पत्र के पूर्णियाँ संस्करण में कम से कम स्पेस में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– N.I.C.,पूर्णियाँ को उपरोक्त सूचना को पूर्णियाँ के बेबसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

11/10/19

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद,पूर्णियाँ।